न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/14/2023

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2023/25

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
सुश्री बीना कंवर पुत्री स्व. श्री चंवरसिंह, ग्राम व पोस्ट–बडेर, तह. मालाखेडा (अलवर)		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रवेश तिथि :: 17.01.2023

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 24.01.2023

1. अपलार्थी उपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने online rti web portal पर आवेदन क्रमांक: 293381405238449 दिनांक: 12.01.2023 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर "Collector Control के शिकायत entry register (अवधि दिनांक: 21.11.2021 से दिनांक: 01.05.2022 तक)" की सूचना चाही गई थी।
4. सूचना नहीं मिलने के आक्षेप पर अपीलार्थी द्वारा online rti web portal पर अपील क्रमांक: 293646745501197 दिनांक: 15.01.2023 के माध्यम से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया।
6. प्रत्यर्थी की ओर से पत्र सं. 199 दिनांक: 23.01.23 के माध्यम से मय संलग्नक जवाब प्राप्त हुआ।
7. प्राप्त जवाब मय संलग्नक दस्तावेजात् का परीक्षण किया गया। अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांक: 12.01.2023 की विषयवस्तु प्रत्यर्थी कार्यालय से संबंधित नहीं होने के कारण उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत विहित समयावधि में ही online rti web portal पर पत्र सं. 8431317578 दिनांक: 16.01.2023 के माध्यम से मूल आवेदन, सहायक निदेशक,लोक सेवाऐं, कलक्ट्रेट, अलवर को अन्तरित करते हुए अपीलार्थी को भी सूचित किया जा चुका है। यह भी अंकित किया गया कि प्रभारी अधिकारी, सामान्य प्रकोष्ठ (अति0 जिला कलक्टर, द्वितीय) कलक्ट्रेट, अलवर के पत्रांक: सामान्य/2023/213 दिनांक: 17.01.2023 से प्राप्त सूचनानुसार "कार्यालय आदेश क्रमांक: सामान्य/19001 दिनांक: 24.09.2020 के माध्यम से **जिला स्तरीय सामान्य कन्ट्रोल रूम का प्रभारी अधिकारी, सहायक निदेशक लोक सेवाऐं, कलक्ट्रेट, अलवर** को नामित किया गया है।"
8. अंततः प्रकरण में अपीलार्थी को सूचना अभी तक प्रेषित नही की गयी है।
9. उक्त आलोक में **अपील, अपीलार्थी स्वीकार** की जाकर निस्तारित की जाती है। प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि **सूचना आवेदन दिनांक: 12.01.2023 के परिप्रेक्ष्य में** अपने नियंत्रणाधीन संबंधित अनुभाग से पूर्ण सूचना/जानकारी प्राप्त कर अपीलार्थी को सूचित करें।
10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. आज दिनांक: 24.01.2023 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज.)

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)